हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

कल्याण समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2022-23)

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग

46वाँ प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित।

(दिनांक: 13 .08.2022 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	1-13
	अध्याय-I	2-8
	समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट हुई और उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया, का विवरण।	
	अध्याय-II	9-14
	समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं हुई तथा अतिरिक्त जानकारी हेतु लम्बित रखने का निर्णय लिया।	
4.	परिशिष्ट-I समाप्त आश्वासनों की सूची।	15
5.	परिशिष्ट-II लम्बित आश्वासनों की सूची।	
6.	परिशिष्ट-III उत्तर अपेक्षित आश्वासनों की सूची जिनके उत्तर प्रतिवेदन बनाने तक प्राप्त नहीं हुए	15-16

समिति का गठन

सभापति:

श्री बलबीर सिंह

सदस्य:

2. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
3. श्री विनय कुमार
4. श्री नन्द लाल
5. श्री किशोरी लाल
6. श्री हीरा लाल
7. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
8. श्रीमती रीता देवी
9. श्री इन्द्र सिंह
10. श्रीमती रीना कश्यप
11. श्री संजय अवस्थी

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय :

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री गिरधारी लाल शर्मा : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, कल्याण समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से समिति का **46वाँ प्रतिवेदन** जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बंधित है व सदन में माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आधारित है, को सदन में उपस्थापित करता हूँ।

कल्याण समिति का गठन, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 (नवम् संस्करण) के नियम 209 एवं 211 के अनुसरण में जारी अधिसूचना सं0 वि-0स0विधायन समिति-गठन 1-14/2018, दिनांक 28.03.2022 को किया गया ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 (नवम् संस्करण) के नियम 273(5) के अन्तर्गत कल्याण समिति ने सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के प्राप्त उत्तरों पर विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया। यह प्रतिवेदन उन सभी बैठकों में लिए गए निर्णयों पर आधारित है।

समिति ने इस प्रतिवेदन को दिनांक 04.08.2022 की आयोजित बैठक में विचारोपरान्त अनुमोदित किया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिये प्राधिकृत किया।

समिति, अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है जिन्होंने समिति को लिखित सूचना उपलब्ध करवाई।

समिति सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूप-रेखा तैयार करने में समिति को सहयोग दिया।

बलबीर सिंह

(बलबीर सिंह)
सभापति,
कल्याण समिति।

शिमला-171004
दिनांक : 04.08.2022

प्रतिवेदन

कल्याण समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित अगस्त,2022 तक कुल 22 आश्वासन विचारार्थ/संवीक्षार्थ है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

31वाँ प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2020-21) में दर्शाए गए लम्बित आश्वासनों का विवरण:-

2/2008, 4/2008, 7/2009, 06/2014, 01/2018, 4/2019, 12/2020 =7

बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा के दौरान दिए गए आश्वासनों का विवरण :-

(2/2008,4/2008,7/2009,6/2014,1/2018,4/2019,6/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021,21/2021,22/2022)=22 कुल =22

समिति ने दिनांक 04.01.2022 व 19.05.2022 को आयोजित बैठक में आश्वासन संख्या: 1/2018, 14/2021,16/2021 व 17/2021 कुल=4 के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट होकर इन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया जिन्हें इस प्रतिवेदन के अध्याय-I (परिशिष्ट-I) में दर्शाया गया है। अध्याय-II (परिशिष्ट-II) में उन आश्वासनों का विवरण है, जिन्हें दिनांक 03.11.2020, 04.12.2020, 05.12.2020, 04.01.2022 व 19.05.2022 को आयोजित बैठकों में विभागीय उत्तर से सन्तुष्ट न होकर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से लम्बित रखने का निर्णय लिया गया है (2/2008, 4/2008, 7/2009, 06/2014, 4/2019, 12/2020,15/2021 व 18/2021 कुल=8)। परिशिष्ट-III में उन आश्वासनों (6/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2020, 11/2020, 13/2020, 19/2021, 20/2021, 21/2021 व 22/2022) कुल=10 का विवरण है जिनके उत्तर इस प्रतिवेदन को तैयार करने (अगस्त,2022) तक विभाग से प्राप्त नहीं हुए हैं।

समिति विभाग से अपेक्षा करती है कि भविष्य में आश्वासनों को निर्धारित समय के भीतर कार्यन्वयन करने बारे ठोस पग उठाना सुनिश्चित करें तथा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट-II व III में दर्शाये गए लम्बित आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन कर कृत कार्रवाई के उत्तर इस सचिवालय को समिति की संवीक्षार्थ उपलब्ध करवायें।

अध्याय-I

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट हुई और उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया, का विवरण:-

1. आश्वासन संख्या: 1/2018 सामाजिक सुरक्षा पैंशन।

समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2015-16) व 31वें मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2020-21) में यह आश्वासन लम्बित दर्शाया गया था और सिफारिश/टिप्पणी कर विभाग से पुन: जानना चाहा था कि क्या अब लम्बित 15043 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन दी जाने लगी है?

विभाग ने दिनांक 31.12.2021 को लिखित उत्तर द्वारा समिति को अवगत करवाया कि जी हां, इन सभी 15043 पात्र वृद्धजनों को 1 अप्रैल,2020 से सामाजिक सुरक्षा पैंशन दी जाने लगी है। अत: आश्वासन की अनुपालना की जा चुकी है।

समिति ने दिनांक 19.05.2022 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के अवलोकनोपरान्त अपनी सन्तुष्टि व्यक्त की और इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

2. आश्वासन संख्या: 14/2021- सामाजिक सुरक्षा पैंशन।

श्री नरेन्द्र ठाकुर, माननीय विधायक द्वारा पूछे गए तांराकित प्रश्न संख्या:3390, दिनांक 02.03.2021 कि गत् 3 वर्षों में दिनांक 31.10.2021 तक हमीरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पैंशन के कितने मामले लम्बित है? जिसका उत्तर देते हुए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने लिखित रूप में सूचित किया कि

"गत् 3 वर्षों में दिनांक 31.01.2021 तक सामाजिक सुरक्षा पैंशन के 1778 मामले विभाग को प्राप्त हुए जिसमें से 1574 मामलों में पैंशन जारी की है तथा शेष 204 लम्बित मामलों को भी शीघ्र ही पैंशन प्रदान की जाएगी"

विभाग ने दिनांक 06.08.2021 को लिखित उत्तर द्वारा समिति को अवगत करवाया कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मार्च,2021 तक लम्बित सभी 31,396 पैशन आवेदनों को 01 अप्रैल,2021 से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन मामलों में जिला हमीरपुर के लम्बित सभी 1342 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लम्बित 204 मामलों को भी पैंशन स्वीकृत कर दी गई है। अत: आश्वासन की अनुपालना की जा चुकी है।

समिति ने दिनांक 04.01.2022 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के अवलोकन के पश्चात अपनी सन्तुष्टि व्यक्त की और इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

3. आश्वासन संख्या: 16/2021- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता।

श्री रमेश चन्द ध्वाला, माननीय विधायक (ज्वालामुखी), द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3624, दिनांक 10.03.2021 तथा इसी पर श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, विधायक नदौन, द्वारा पूछे गए अनुपुरक प्रश्न कि कोविड-19 महामारी के दौरान कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता व सहायिकाएं संक्रमित हुई तथा कितनों की मृत्यु हुई। क्या सरकार भविष्य में जो कोरोना वॉरियर के नाम से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता व आशावर्कज जानी जाती है उनको रोजगार में एक या दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखेगी तथा आशावर्कज की तर्ज पर आंगनबाड़ी

कार्यकत्ताओं को भी विभाग ऑनरेरियम देने का विचार रखती है, का उत्तर देते हुए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने इस प्रकार कहा कि:

> " आशावर्कज द्वारा कोविड़ महामारी के दौरान अतिरिक्त सेवायें देने पर एक्स्ट्रा सर्विसज करने के उपरान्त चार जिले बिलासपुर,कांगड़ा सिरमौर और सोलन में यह इनसेंटिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया है बाकी जिलों के लिए हमारे विभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मैटर टेकअप किया है कि जिस तरह आशावर्कज को 1000 रूपये प्रति महीने प्रोवाइड करने की बात की है उसी तर्ज पर हमारे बाकी जिलों के आंगनबाड़ी वर्कज को भी यह इनसेंटिव दिया जाए। जो सुविधाएं सरकार ने अनाउंस की थी कि यदि कोरोना बॉरियर के रूप में किसी की डैथ होती है तो उनका इंश्योरैंस कवर और बाकी अन्य चीजें होंगी। उसका प्रोविजन भी हमारे विभाग में सेम रखा गया था। "

विभाग ने दिनांक 14.02.2022 को लिखित उत्तर द्वारा समिति को अवगत करवाया कि श्रीमती सरवीण चौधरी, माननीय सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा तेरहवीं विधान सभा के दौरान दिए गए आश्वासन के सन्दर्भ में जिला कार्यक्रम अधिकारियों की प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 7877 आंगनबाड़ी कार्यकत्ताओं व 157 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कोविड़-19 के दौरान बतौर फ्रंटलाईन कार्यकर्त्ता नियुक्ति दी जा चुकी है तथा मु0 8,98,267/- रूपये की राशि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनसेंटिव दिया गया है। जिलावार ब्यौरा **अनुबन्ध "ख"** पर अवलोकनार्थ संलग्न है जिसका माननीय समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया है।

कोरिना वॉरियर के रूप में किसी की मुत्यू होती है तो उनका इंश्योरैंस कवर करने के सन्दर्भ में भारत सरकार के पत्र संख्या सीडी-1-12/5/2020-सीडी-1

दिनांक 11.10.2021 द्वारा अवगत करवाया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता व सहायका को "प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना" में शामिल किया गया है। छाया प्रति संलग्न अनुबन्ध "ग" जिसका माननीय समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया है। इस सन्दर्भ में समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निदेशालय के पत्र संख्या 14-114/2004 आई सीडीएस-एबीकेवाई-14121-132 दिनांक 15.12.2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। छायाप्रति संलग्न अनुबन्ध "घ" पर है जिसका माननीय समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया है।

समिति ने दिनांक 19.05.2022 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के अवलोकन के पश्चात अपनी सन्तुष्टि व्यक्त की और इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

4. आश्वासन संख्या: 17/2021-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम।

श्री रविन्द्र कुमार, विधायक (जयसिंहपुर) द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या: 3637, दिनांक 10.03.2021 तथा उन्हीं द्वारा पूछे गए अनुपुरक प्रश्न कि गत् 3 वर्षों में दिनांक 31.01.2021 तक प्रदेश में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि पुलों व सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित की गई तथा इस योजना के अन्तर्गत क्या सभी आरक्षित विधानसभा चुनाव क्षेत्र को बजट एलोकेशन में कोई अधिमान दिया जाता है, का उत्तर देते हुए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने इस प्रकार कहा कि :-

> " मैनें विभाग को इस बार निर्देश दिए हैं कि जो विधान सभा क्षेत्र पीछे रह गए हैं उनको भी आगे लाने के लिए उनकी प्रपोजल को कंसिड़र किया जाए। आप जो भी प्रपोजल भेजेंगें हम उसको कंसिडर करेंगें"

विभाग ने दिनांक 14.09.2021 को लिखित उत्तर द्वारा अवगत करवाया कि अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को तीव्रगति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना का आरम्भ छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान व्रर्ष 1979-80 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों का आर्थिक उत्थान तथा उन्हें योजनाओं का सीधा लाभ पंहुचाना था। वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कुल राज्य योजना का 24.72 प्रतिशत परिव्यय आंवटित किया जोकि 2001 की जनगणना अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुरूप था। वित्तीय वर्ष 2014-15 से सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के लिए राज्य योजना का 25-19 प्रतिशत परिव्यय आंवटित किया जा रहा है जो राज्य में जनगणना 2011 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुरूप है। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आंवटित राशि के परिचय का जनजातीय जिलों (किन्नौर और लाहौल एंव स्पिति को छोड़कर) बाकि दस जिलों को निर्धारित फार्मूला/मानदण्ड के आधार पर आंवटित किया जाता है। यह मानदण्ड प्रतिश्तता के आधार पर तैयार किया गया है जोकि निम्न प्रकार से है:-

(i) 60 प्रतिशत जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर,

(ii) 30 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति के परिवारों के आधार पर और

(iii) 10 प्रतिशत ऐसे गांव जहां पर अनुसूचित जाति जनसंख्या 40 प्रतिशत या इससे अधिक है।

इस प्रकार सभी जिलों की प्रतिशतता इस प्रकार बनती है:-

जिला मानदण्ड	मानदण्ड	जिला	मानदण्ड
बिलासपुर	6.10	6.मण्डी	16.51
चम्बा (पांगी और भरमौर को छोड़कर)	7.54	7.शिमला	13.38
हमीरपुर	6.88	8.सिरमौर	8.27
कांगड़ा	18.63	9.सोलन	10.52
कुल्लू	6.17	10.ऊना	6.00
		कुल	100.00

अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर अनुसूचित जाति उप योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देते समय पूंजीगत कार्यों में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की निम्न मदों में (प्रत्येक मद से) केवल 2 ही नए कार्य प्रस्तावित किए जाते है:-

- सड़कें एवं पुल।
- पेयजल योजना।
- सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण।

इसके अतिरिक्त अन्य मदों जैसे शिक्षा,स्वास्थ्य,आयुर्वेदा,पशुपालन तथा पुलिस इत्यादि में एक निर्वाचन क्षेत्र का केवल एक ही नया कार्य प्रस्तावित किया जाता है। जिला स्तरीय मॉनीटिरिंग एवं समीक्षा समिति की बैठक में पूंजीगत कार्यों का अनुमोदन किया जाता है जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला के मन्त्री, उपाध्यक्ष, जिला के उपायुक्त तथा जिला के समस्त विधायक इस समिति के माननीय सदस्य

है। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा कल्याण समिति की सिफारिश पर तथा माननीय समिति को दिये गए आश्वासन अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत कार्यों व वस्तुत: नई योजनाओं हेतु प्राथमिकतांए माननीय विधायकों से राज्य योजना विभाग की तर्ज पर निर्धारित प्रपत्र पर ली गई है तदानुसार उन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूंजीगत कार्यों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

समिति ने दिनांक 04.01.2022 की आयोजित बैठक में विभागीय उत्तर के अवलोकन के पश्चात अपनी सन्तुष्टि व्यक्त की और इस आश्वासन को समाप्त करने का निर्णय लिया।

(आश्वासन समाप्त)

अध्याय-II

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट नही हुई तथा अतिरिक्त जानकारी हेतु लम्बित रखने का निर्णय लिया, का विवरण।

1. आश्वासन संख्या: 4/2019 - अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम।

समिति के 31वें मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2020-21) में यह आश्वासन लम्बित दर्शाया गया तथा सिफारिश/टिप्पणी कर विभाग से पुन: जानना चाहा कि अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे पूंजीगत कार्यों की समीक्षा हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स समिति में कौन-कौन सदस्य हैं तथा इसकी वर्ष में कितनी बार बैठक होती है? इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कुल कितना पैसा एक स्कीम से दूसरी स्कीम में डाइवर्ट किया गया है, ब्यौरा दें?

विभाग ने समिति को दिनांक 17.12.2021 के लिखित उत्तर के माध्यम से अवगत करवाया कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे पूंजीगत कार्यों की समीक्षा हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स समिति में शामिल सदस्यों का ब्यौरा **अनुबन्ध "अ"** पर संलग्न है जिसका माननीय समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया है तथा इसकी वर्ष में दो बार बैठक होती है, पहली,दूसरी तिमाही के अंत के बाद और दूसरी,चौथी तिमाही के अन्त के बाद। अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में एक स्कीम से दूसरी स्कीम में डाइवर्ट किये गये बजट का ब्यौरा क्रमश: **अनुबन्ध "ब" व अनुबन्ध "स"** पर संलग्न है जिसका माननीय समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया है।

सिफारिश/टिप्पणी

दिनांक 19.05.2022 को आयोजित बैठक में विभाग द्वारा प्राप्त उत्तर से समिति सन्तुष्ट नहीं हुई और पुन: जानना चाहा कि विभागीय उत्तर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में उपलब्ध बजट को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्थानान्तरित किया गया है। समिति को स्थानांतरित की गई राशि का स्कीमवार एवं जिलावार ब्यौरा दें?

(आश्वासन लम्बित)

2. आश्वासन संख्या: 15/2021 - टैंडर प्रक्रिया।

श्री पवन नैयर, विधायक (चम्बा) द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या: 3221, दिनांक 04.03.2021 तथा इसी पर राकेश सिंघा, विधायक(ठियोग), द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न कि चम्बा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कोविड-19 के दौरान जिला प्रोग्राम अधिकारी द्वारा बेबी किट व कम्बल पोस्टर एवं पम्पलेट तथा मास्क,ग्लब्ज,हैण्डवाश और सेनेटाइजर किस माध्यम से खरीदे गए या निविदाएं किन-किन ठेकेदारों को आमंत्रित तथा किन-किन अखबारों में प्रकाशित की गई। इसी सन्दर्भ में दिनांक 01जनवरी,2020 से 31जुलाई,2020 तक की गई खरीद का पूर्ण ब्यौरा दें, का उत्तर देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने इस प्रकार कहा कि:-

> " कोविड़-19 महामारी के दौरान एक स्पेशल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत चम्बा जिला को डी0सी0 की अध्यक्षता में विभाग को 6 लाख रूपये इन सभी चीजों की खरीद के लिए दिया गया। डी0सी0 द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से सी0डी0पी0ओ0 के लेवल पर फर्मों से सामग्री क्रय कर हर आंगनबाड़ी केन्द्र को यह समान वितरित किया गया है। इस बारे माननीय मन्त्री महोदय ने सदन में आश्वासन दिया है कि जिन पांच फर्मों ने पार्टिसिपेट किया उसकी लिस्ट विभाग प्रोवाईड करवा देगा इस प्रक्रिया को मैं एक बार फिर से देख लूंगी इसकी पूरी इन्क्वायरी की जाएगी और जो भी डिफॉल्टर होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा "

विभाग ने समिति को दिनांक 14.02.2022 के लिखित उत्तर के माध्यम से अवगत करवाया कि श्रीमती सरवीण चौधरी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री , हिमाचल प्रदेश द्वारा दिए गए आश्वासन में उपायुक्त चम्बा को छानबीन करने हेतु लिखा गया। उपायुक्त, चम्बा द्वारा आश्वासन के आधार प्रस्तुत सूचना में वहीं तथ्य रखे गए जोकि विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न का उत्तर निदेशक, महिला एवं बाल विकास द्वारा पटल पर रखे गए थे:-

जिला चम्बा में 1272 बेबी किट क्रय करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी चम्बा द्वारा लिमिटेड निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं आमन्त्रित की गई थी। बेबी किट में एक मैट्रस,एक कम्बल,एक पिलों व एक साईड पिल्लों शामिल है। इस लिमिटिड टैंडर प्रक्रिया का विज्ञापन समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं किया गया है बल्कि लिमिटिड टैंडर प्रक्रिया को अपना कर विज्ञापन जन-सूचना के माध्यम से किया गया है।

(i) पोस्टर एवं पम्पलेट इत्यादि लिमिटिड टैंडर के माध्यम से क्रय किये गए हैं तथा निविदाओं में तीन फर्मों ने भाग लिया।

(ii) बेबी किट व कम्बल जिला चम्बा के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक की जन्मी बालिकाओं को प्रदान करने हेतु भेजी गई ।

(iii) चम्बा में प्रोग्राम अधिकारी द्वारा कोविड-19 के दौरान मास्क, ग्लब्ज, हैण्डवाश और सेनेटाईजर नहीं खरीदे गए हैं बल्कि ये सामाग्री परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारीयों द्वारा क्रय की गई है।

(iv) इस खरीद के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारीयों द्वारा टैण्डर प्रक्रिया न अपनाकर परियोजना स्तर पर क्रय समिति का गठन कर क्रय

की गई है। क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त ही सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारीयों द्वारा क्रय किए गए।

अत: उपायुक्त, चम्बा द्वारा प्रस्तुत सूचना अवलोकनार्थ संलग्न की जाती है जिसका माननीय समिति द्वारा अवलोकन कर लिया गया है।

सिफारिश/टिप्पणी

दिनांक 19.05.2022 को आयोजित बैठक में विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर से समिति सन्तुष्ट नहीं हुई। उत्तर के अवलोकनोपरान्त समिति ने पाया कि सैनेटाईजर,साबुन इत्यादि के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं जबकि बेबी किट की खरीद की गई है। इस प्रयोजन हेतु पंजीकृत पत्र के माध्यम से निविदाएं फर्मों से मांगी जानी चाहिए थी वह भी कम से कम पांच फर्मों से, जैसे कि माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में आश्वासन दिया है। उत्तर के साथ दस्तावेजों में न तो पंजीकृत पत्रों और न बेबी किट के क्रय से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त हुआ है।
दूसरे, माननीय मन्त्री जी ने जांच करवाने बारे आश्वासन दिया था जबकि प्रस्तुत उत्तर में इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। जो दस्तावेज जिला चम्बा से प्राप्त हुए हैं, विभाग ने उन्हें उसी रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। समिति ने इस प्रकार से अधूरे उत्तर प्रेषित करने का कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि अधूरे उत्तर भेजने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कर समिति को एक महीने के भीतर कृत कार्रवाई से अवगत करवाया जाए।
(ii) कोविड़-19 के दौरान जिला चम्बा में जो सामान (सैनेटाइजर, हैड़वाश, मास्क, बेबी किट इत्यादि) क्रय किया गया है उसी सामान की अन्य जिलों में की गई खरीद के मूल्य से भी समिति को जिलावार अवगत करवाया जाए।

(आश्वासन लम्बित)

3. आश्वासन संख्या:18/2021 - कोरोना से अनाथ बच्चें।

श्री रमेश चन्द ध्वाला, विधायक (ज्वालामुखी) द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या: 1668, दिनांक 11.08.2021 कि कविड़-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा तथा पालन-पोषण हेतु प्रदेश सरकार क्या -2 सुविधाएं उपलब्ध

करवाने का विचार रखती है, का उत्तर देते हुए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने इस प्रकार कहा कि :-

" काविड़-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण हेतु पालक दम्पति /माता पिता इच्छुक नहीं पाए जाते है तो उन बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों में प्रवेश देने का प्रावधान है जहां उनकी 18 वर्ष की आयु तक मुफत में शिक्षा व रहन-सहन का पूरा व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा"

विभाग ने समिति को दिनांक 30.11.2021 को लिखित उत्तर के माध्यम से अवगत करवाया कि कोविड़-19 महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश में दिनांक 01.11.2021 तक 24 बच्चे अनाथ हुए है। इनमें से 22 बच्चों को फॉस्टर केयर /पालक देखरेख में विस्तारित या असम्बन्धित परिवारों या फिर रिश्तेदारों के पास पालन पोषण हेतु रखा गया है। इन बच्चों के पालन पोषण हेतु 4000/- रूपये की राशि प्रति माह प्रति बालक/बालिका की दर से स्वीकृत की जा रही है जिसमें से 2500/- रूपये प्रति माह की दर से पालक माता पिता को बच्चे के पालन पोषण हेतु तथा 1500 रूपये प्रति माह की दर से एफ डी/आर डी के रूप में अनाथ बच्चें के नाम पर डाकघर /बैंक में जमा की जा रही है। शेष 2 बच्चों को फॉस्टर केयर/पालक देखरेख में रखने हेतु प्रक्रिया जारी है तथा इन्हें शीघ्र ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके फॉस्टर केयर/पालक देखरेख में रख दिया जाएगा ताकि उनका पारिवारिक परिवेश में पालन पोषण हो सके तथा अभी तक बाल देखभाल संस्थानों में रहने के लिए किसी भी बालक/बालिका को विवश नहीं होना पड़ा है। इस प्रकार प्रदेश में अभी तक जो बच्चे कोविड़-19 माहमारी के कारण अनाथ हुए हैं उन्हें बाल देखरेख संस्थानों में रहने के लिए विवश नहीं होना पड़ता है।

सिफारिश/टिप्पणी

दिनांक 04.01.2022 को आयोजित बैठक में विभाग द्वारा प्रेषित उत्तर से समिति सन्तुष्ट नहीं हुई। समिति सिफारिश करती है कि कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को 18 साल के बाद भी उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु उचित प्रबन्ध करें। समिति का मत है कि विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को प्रेषित करें कि उन्हें सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता देने बारे उचित कदम उठाकर कृत कार्रवाई से समिति को भी अवगत करवायें।

(आश्वासन लम्बित)

****

परिशिष्ट-I

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट हुई और उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया:-

क्र0सं0	आश्वासन संख्या	विषय	समाप्त करने की तिथि
1.	1/2018	देहरा मण्डल के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लम्बित मामले बारे।	19.05.2022
2.	14/2021	सामाजिक सुरक्षा पैंशन।	04.01.2022
3.	16/2021	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता।	19.05.2022
4.	17/2021	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम।	04.01.2022

परिशिष्ट-II

समिति जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं हुई तथा अतिरिक्त जानकारी हेतु लम्बित रखने का निर्णय लिया:-

क्र0सं0	आश्वासन संख्या	विषय 31 वां प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2021	लम्बित रखने की तिथि
1.	2/2008	असहाय युवा विधवाओं को सरकारी नौकरिंया।	03.11.2020
2.	4/2008	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साक्षात्कार	03.11.2020
3.	7/2009	सिरमौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की रिक्तियां	03.11.2020
4.	06/2014	बालविकास परियोजना अधिकारी कार्यालय।	03.11.2020
5.	4/2019	अनुसूचित जाति उप-योजना।	04.12.2020 19.05.2022
6.	12/2020	अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार बारे।	05.12.2020

		46 वां प्रतिवेदन दिनांक 13 .08.2022	
7.	15/2021	टैंडर प्रक्रिया।	19.05.2022
8.	18/2021	कोरोना से अनाथ बच्चे।	04.01.2022

परिशिष्ट-III

<u>प्रतिवेदन बनाने तक जिन आश्वासनों के विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए:-</u>

क्र0सं0	आश्वासन संख्या	विषय 31 वां प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2021	विभाग को भेजने की तिथि
1.	6/2019	विधवा पैंशन	05.10.2019
2.	8/2019	स्वीकृत योजनाएं	24.01.2020
3.	9/2019	विधवा व अपंग पैशन बारे।	24.01.2020
4.	10/2020	सामाजिक सुरक्षा पैंशन	30.05.2020
5.	11/2020	सामाजिक सुरक्षा पैंशन के मामले	30.05.2020
6.	13/2020	इन्कम क्राईटेरिया	30.05.2020
		46 वां प्रतिवेदन दिनांक 13.08.2022	
7.	19/2021	भवन निर्माण	11.10.2021
8.	20/2021	सामाजिक सुरक्षा पैंशन	01.02.2022
9.	21/2021	आय सीमा	01.02.2022
10.	22/2022	पदोन्नति कोटा	25.04.2022

****